

पटवारी रिपोर्ट 323  
 मृताबिक जमाबंदी संवत् 2074 खा. नं. 322, 56, 86 आरथी विरासत  
 नाम रामचंद्र पुत्र रामगोपाल दर्ज है जसकी संलग्न दस्तावेज सरपंच प्रमाण पुत्र,  
 झाबुसर लाड, पते लाड, दासविडा लारसिस से नाम रामचंद्र जाण्ड पुत्र गोपाल लाल  
 जाण्ड है इन संलग्न दस्तावेज अनुसार रामचंद्र पुत्र रामगोपाल से रामचंद्र पुत्र  
 गोपाल लाल जाण्ड किमा जाता उचित होगा।  
 27/9/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
~~प्राथमिक चरण के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पर~~  
 सुनुसर खारदात के पिता का नाम रामगोपाल के स्थान पर पिता  
 का नाम गोपाललाल जाण्ड उदात्त किया जाया सही है।  
 14 अक्टूबर  
 27/09/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं जांच भू. अ. निरीक्षक  
 के आधार पर उदात्ती की अभिसंधि की जाती है।  
 2025  
 614

शिविर प्रभारी  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद  
 प्रभारी अधिकारी 'ग्रामीण सेवा शिविर-2025'

क्रमांक / 2-18

दिनांक: - 11/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हाथी विरासत तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 322, 56, 86 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	रामचंद्र पुत्र रामगोपाल जा. खाती शेष 05रकबा	उपरि 9/8/10 खा. नं. 322, 56, 86	39रकबा	1) रामचंद्र पुत्र गोपाल लाल जाण्ड जा. खाती शेष 05रकबा	उपरि 9/8/10 खा. नं. 322, 56, 86	39रकबा



क्रमांक: - 5215-16

प्रतिमा 1) TOR, NSD की फालचार्ज  
 2) उदात्ती खाती

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

दि. - 11/10/25